सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 09, बुधवार, *शाके 1946*- जनवरी 29, 2025 *Magha 09, Wednesday, Saka 1946- January 29, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2025

संख्या एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./ गि.रि./ 2024/ Rajkaj Ref. No./ 13190808:- राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा खरीफ फसल सम्वत-2081 (वर्ष 2024) में दिनांक 04.10.2024 को हुई ओलावृष्टि से खरीफ फसलों में खराबे की जिंसवार की गई नियमित गिरदावरी की रिर्पोट (7डी) भिजवाई गई है, जिसके आधार पर तहसील संगरिया के निम्नलिखित 09 ग्रामों में खरीफ फसलों में ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक खराबा होने के कारण प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने के लिये अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के जारी होने से 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगेः-

जिले का नाम	तहसील का नाम	क्र.सं.	अभावग्रस्त किये जाने वाले गांवों के नाम
हनुमानगढ़	संगरिया	1	1 डीएलपी
		2	2 डीएलपी
		3	3 डीएलपी
		4	3 एमएमके
		5	4 एमजेडी
		6	5 एमजेडी
		7	6 एमजेडी
		8	8 एनटीडब्लू
		9	9 एनटीडब्लू

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

भगवत सिंह,

शासन संयुक्त सचिव।

9052

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।